भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3506

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

कोयला रॉयल्टी

3506. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर को किस वर्ष संशोधित किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने देश में कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर को संशोधित करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर के संशोधन पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ड.) क्या कठोर आरपीओ लक्ष्यों को प्राप्त न करने और कोयला संबंधी रॉयल्टी के संशोधन में विलंब करने के लिए कोयला समृद्ध राज्यों को दंडित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा कोयला समृद्ध राज्यों का संरक्षण करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): सभी स्टेकहॉल्डरों के साथ उचित परामर्श करने के बाद अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित किए गए एक अध्ययन समूह की सिफारिश पर कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर को दिनांक 10.05.2012 से अंतिम बार संशोधित किया गया था। दिनांक 10.05.2012 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कोयला संबंधी रॉयल्टी दर (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर) को मूल्यानुसार 14% पर संशोधित किया गया था।

(ख): खान एवं खनिज़ (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के तहत, केन्द्र सरकार को इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार है ताकि खनिज संबंधी रॉयल्टी दर को बढ़ाया या घटाया जा सके, बशर्ते केन्द्र सरकार तीन वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान एक से अधिक बार किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को नहीं बढ़ाएगी।

(ग): अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में कोयला और लिग्नाइट संबंधी रॉयल्टी को संशोधित करने पर विचार करने के लिए दिनांक 21.07.2014 को एक अध्ययन समूह गठित किया गया था जिसमें विभिन्न स्टेकहॉल्डरों के सदस्यों को शामिल किया गया था।

विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर को संशोधित करने के संबंध में नई दिल्ली में दिनांक 05.02.2018 को हुई अध्ययन समूह की बैठक में, अध्ययन समूह ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

i. दिनांक 10.05.2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349 (ई) द्वारा अधिसूचित दरों से कोयला संबंधी रॉयल्टी की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन को प्रस्तावित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में उत्पादित कोयला संबंधी रॉयल्टी की दर को करों, लेवी और अन्य प्रभारों को छोड़कर इन्वॉइस में यथा-दर्शित कोयले के मूल्य पर मूल्यानुसार अपरिवर्तित अर्थात् 14% (चौदह प्रतिशत) की दर पर रखा जा सकता है।
ii. पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित कोयला संबंधी रॉयल्टी की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन को प्रस्तावित नहीं किया गया है और इस पर रॉयल्टी को दिनांक 10.05.2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349 (ई) के तहत यथा-अधिसूचित प्रति टन रूपये के रूप में अपरिवर्तित रखा जा सकता है।

(घ): केन्द्र सरकार द्वारा अध्ययन समूह की अंतिम सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।

(ड.): कोयले की रॉयल्टी दर को भारत सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, इसलिए कोयला संबंधी रॉयल्टी को संशोधित करने में हुए विलंब के लिए कोयला समृद्ध राज्यों को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) एवं (छ): उपर्युक्त भाग (ड.) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****